FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0100 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/05/2024 20:04 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 24/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 17:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:58 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/05/2024 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/05/2024 20:04:41 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** HOTAL PADMAWATI RESTORENT, GRAM PANCHYAT JEERAVAL, Panchyat Samiti REVDAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** AASHARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JODHARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DANTRAI, Panchayt Samiti REVDAR, SIROHI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DANTRAI, Panchayt Samiti REVDAR, SIROHI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9636816358

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PARMAR DIXIT KUMAR		पिता:JAGDISH KUMAR	1. 429 CHHEEPON KA BAS,NEAR POST OFFICE BHARUNDA,SUMERPUR,PALI, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	J	2,200.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,200.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों सिरोही विषय- लोक सेवक को रिष्वत राषि लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् महोदय, मुझ प्रार्थी आशाराम पुत्र श्री जोधाराम जी जाती रेबारी, निवासी दांतराई तहसील रेवदर जिला सिरोही का निवेदन इस प्रकार हैं कि मैं मूल रूप से दांतराई का ही रहने वाला हॅूं, मैं कर्नाटक में मजदूरी के लिये जात हॅूं, मेरी शादी 2022 में होने से मैं परिवार से पृथक हो गया हॅु इसलिये मेरा राषन कार्ड मेरे माता-पिता से अलग करवाने के लिये मैने ग्राम पंचायत दांतराई में राषन कार्ड बनाने के लिये मेरे नाम से आवेदन पत्र पंचायत के ई-मित्र संचालक श्री सुरेष कुमार कोली को पेष किया जो आज से 10 दिन पहले पेष किया था ई-मित्र के संचालक ने उसी दिन मेरा आवेदन ई-मित्र के जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति रेवदर को फाॅरवर्ड कर दिया था फिर मैने ई-मित्र संचालक को राषन कार्ड के बारे में पूछा तो सुरेष कोली ने बताया कि मैने तो उसी दिन फारवार्ड कर दिया था अभी ठक्व् आॅफिस में पैण्डिग चल रहा है े जो ठक्व् आॅफिस रेवदर जाकर पता करने का कहा तब आज से चार दिन पहले ठक्व् आॅफिस गया वहां राषन कार्ड का काम कम्प्युटर पर करने वाले से मिला तब उसने मेरे से रसीद नम्बर मांगे तब मेरे पास रसीद नबंर नहीं होने से मैं वापस अपने घर गया। उसके बाद दूसरे दिन मैं ग्राम सेवक दिक्षित परमार ग्राम पंचायत दांतराई से फोन पर राषन कार्ड नहीं बनाने के बारे में बात कही तब मुझे मिलने का कहा तब मुझे उसी दिन शाम को जीरावल पैट्रोल पंप के पास होटल पर मिलने का कहा तब मैं शाम को करीब 5.30, 6.00 बजे जाकर मिला तब मैने राषन कार्ड नहीं बनाने का पूछा तो दिक्षित परमार ने कहा कि राषन कार्ड के अलावा और क्या बनाना हैं, सभी बना दुगा 2200/- रू0 मुझे देने पड़ेगें। केवल केवल राषन कार्ड बनाना हो तो 1200/- रू0 दे देना तब मैने कहा कि अभी शादी होने से मेरा जाॅब कार्ड व जन आधार कार्ड भी बनाना हैं, जो जल्दी बनाने हैं, तब मुझे कहा कि सभी काम के मुझे 2200/- रू0 देने पड़ेगें मैं आॅफिस में जाकर करवा दूंगा। मैने ही ठक्व् आॅफिस में काम करने वाले को मना किया हुआ है मुझे 2200/- रू0 रिष्वत के रूप देगा तो हस्ताक्षर करके काम करूंगा नही तो तेरा काम नहीं होगा। इस प्रकार मुझे राषन कार्ड बनाने वाले फार्म पर हस्ताक्षर कराने के लिये व मूल निवास फार्म पर हस्ताक्षर कराने के लिये भी कई बार चक्कर लगवाऐ थे। बड़ी मुष्किल से हस्ताक्षर राषन कार्ड वाले फार्म पर किए थे। अभी भी रिष्वत नहीं देने के कारण दिक्षित परमार ने मेरा राषन कार्ड रूकवाया हुआ हैं व मूल निवास फार्म पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे है मेरे द्वारा रिष्वत के 2200/- रू0 लेते हुए को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हॅूं। मेरे व दिक्षित परमार के पुरानी कोई दुष्मनी नहीं हैं तथा नहीं मेरे कोई देन देन बाकी है। अतः रिपोर्ट पेष कर रहा हॅूं कारवाई करावें। सही/- आषाराम/जोधाराम रेबारी दांतराई 9636816358 कार्यवाही पुलिस दिनंाक 23.05.2024 को वक्त 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री आशाराम पुत्र श्री जोधाराम जी जाति रेबारी, निवासी दांतराई तहसील रेवदर जिला सिरोही मोबाईल नं 9636810358 ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होकर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस के समक्ष एक हस्तलिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत कर बताया कि मैं मूल रूप से दांतराई का ही रहने वाला हॅूं, मैं कर्नाटक में मजदूरी के लिये जात हॅूं मेरी शादी 2022 में होने से मैं परिवार से पृथक हो गया हॅूं। इसलिये मेरा राषन कार्ड मेरे माता-पिता से अलग करवाने के लिये मैने ग्राम पंचायत दांतराई में राषन कार्ड बनाने के लिये मेरे नाम से आवेदन पत्र पंचायत के ई-मित्र संचालक श्री सुरेष कुमार कोली को पेष किया, जो आज से 10 दिन पहले पेष किया। ई-मित्र के संचालक ने उसी दिन दिन मेरा आवेदन ई-मित्र के जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति रेवदर को फाॅरवर्ड कर दिया था। मैंने आज से चार दिन पहले ठक्व् आॅफिस गया वहा राशन कार्ड का काम कम्प्युटर पर करने वाले से मिला तब उसने मेरे से रसीद नंबर मांगे तब मेरे पास रसीद नंबर नहीं होने से मैं वापस अपने घर गया। उसके बाद दुसरे दिन मैं ग्राम सेवक दिक्षित परमार ग्राम पंचायत दांतराई से फोन पर राशन कार्ड नहीं बनाने के बारे में बात किई तब मुझे मिलने का कहा तब मैं उसी दिन शाम को जीरावल पेट्रोल पंप के पास होटल पर मिलने का कहा तब मैं शाम को करीब 5ः30-6.00 बजे जाकर मिला तब मैंने राशन कार्ड नहीं बनाने का पूछा तो दिक्षित परमार ने कहा कि राशन कार्ड, के अलावा और क्या बनाना हैं सभी बनावा दुंगा 2200/- रूपये मुझे रिष्वत के देने पडेंगे केवल राशन कार्ड बनाना हो तो 1200 रूपये दे देना तब मैंने कहा कि अभी शादी होने से मेरा जाॅब कार्ड व जन आधार कार्ड व मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनाना हैं जो जल्दी बनाने तब मुझे कहा कि सभी काम के मुझे 2200/- रू देने पडेंगे मैं आॅफिस में जाकर करवा दुंगा मैंने हि ठक्व् आॅफिस मैं काम करने वाले को मना किया हुआ हैं। मुझे 2200/-रिश्वत के रूप

के रूप में देना तो काम करवाउंगा नही तो तेरा काम नही होगा। इस प्रकार मुझे राशन कार्ड बनाने वाले फार्म पर हस्ताक्षर कराने के लिये भी कई बार चक्कर लगवाए थे बडी मुश्किल से राषन कार्ड के फार्म पर हस्ताक्षर किये थे अभी भी रिश्वत नहीं देने के कारण दिक्षित परमार ने मेरा राशन कार्ड रूकवाया हुआ हैं। मेरे मूल निवास प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये है। मैं श्री दिक्षित परमार ग्राम सेवक को 2200/- रू0 रिष्वत राषि नहीं देकर रिष्वत राषि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरे व दिक्षित परमार के पुरानी कोई दुश्मनी नहीं हैं तथा नहीं ही कोई लेन-देन बाकी हैं। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण 1988 (यथा संषोधित 2018) की परिभाषा में आने से निर्देषानुसार प्रकरण में सर्वप्रथम रिष्वती राषि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय के श्री रमेषकुमार कानि. 119 का परिवादी श्री आशाराम देवासी से परस्पर परिचय करवाकर दोनों के मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। परिवादी की रिपोर्ट पर रिष्वती राषि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाॅईस रिकाॅर्डर निकालकर उक्त वाॅईस रिकाॅर्डर को आॅपरेट करने के तरीके से परिवादी व श्री रमेषकुमार कानि. को अवगत करवाये जाकर परिवादी को कल दिनांक 24.05.2024 को वक्त 10.00 बजे कस्बा रेदवर मे मिलने एवं गोपनीयता रखने की हिदायत कर रवाना किया गया। हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनंाक 24.05.2024 को समय 08ः00 एएम. पर श्री रमेशकुमार कानि 119 को डिजीटल वाॅईस रिकाॅर्डर देकर परिवादी श्री आशाराम देवासी से सम्पर्क कर रिष्वती राषि मांग-सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना रेवदर की तरफ किया गया। समय 11ः15 पीएम पर श्री रमेश कुमार कानि. 119 ने जरिये मोबाईल काॅल कर मन् निरीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर गांव जीरावला पहुंचा जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री आशाराम देवासी उपस्थित मिला। परिवादी ने मुझे बताया कि संदिग्ध श्री दिक्षित परमार वीडीओ ने मुझे सुबह काॅल कर पदमावती रेस्टोरेन्ट पेट्रोल पम्प के पास जीरावला में मिलने हेतु कहा हैं। जिस पर मैंने कार्यालय का डिजिटल वाॅईस रिकाॅर्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री दिक्षित परमार से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप करने हेतु रवाना किया एवं मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी श्री आशाराम के आने के इन्तजार मे मुकिम हुआ। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री आशाराम मेरे पास उपस्थित आया जिस पर मैंने परिवादी श्री आशाराम से डिजिटल वाॅईस रिर्काॅडर को प्राप्त कर स्वीच आॅफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री आशाराम ने मुझे बताया कि मेरे व श्री दिक्षित परमार वीडीओ के बीच मेरे काम से संबंधित वार्तालाप हुई हैं एवं श्री दिक्षित परमार ने मेरा कार्य करने की ऐवज में मेरे से 2200 रू रिश्वत राशि की मांग की हैं। जिस पर श्री रमेश कुमार कानि. को हिदायत की गई कि परिवादी से आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 2200 रू की व्यवस्था करवाकर परिवादी को साथ लेकर अविलम्ब कार्यालय पहुंचने हेतु निर्देशित किया गया। हालात उच्चधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनंाक 24.05.2024 को समय 11ः50 ए.एम. पर प्रकरण में रिष्वती राषि मांग की पुष्टि हो चुकी हैं एंव परिवादी तथा आरोपी के मध्य उक्त राषि का लेन-देन आज होना तय हैं, लिहाजा आरोपी श्री दिक्षित परमार वीडीओ के विरूद्ध आज के रोज ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया जाकर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी बाबत् निर्देषित किया जाने से श्रीमान शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय, सिरोही के नाम तेहरीर मुर्तिब कर श्री चेलाराम हैडकानि. 109 को रवाना किया गया। समय 02ः15 पी.एम. पर निर्देशानुसार श्री रमेश कुमार कानि. 119 व परिवादी श्री आशाराम उपस्थित कार्यालय एसीबी सिरोही आये। श्री रमेश कुमार कानि0 ने कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर स्वीचआॅफ शुदा मन् निरीक्षक पुलिस को पेश कर पूर्व में जरिये मोबाईल बताये गये हालात पुनः निवेदन किये। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री आशाराम से संदिग्ध श्री दिक्षित परमार से हुई वार्तालाप के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर परिवादी श्री आशाराम ने श्री रमेश कानि0 के कथनों की ताईद की गई। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर आॅन कर परिवादी एवं सदिग्ध श्री दिक्षित परमार ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रिश्वती राशि लेन-देन के सम्बन्ध में हुई वार्तालाप को सुना गया तो संदिग्ध श्री दिक्षित परमार ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी श्री आशाराम से उनके कार्य के बदले 2200/- रू0 रिश्वती राशि मांग करने की पुष्टि हुई। जिस पर अग्रिम टेªप कार्यवाही आज ही करने का निर्णय लिया गया। समय 03ः00 पी.एम. पर श्री चैलाराम हैड कानि0 पूर्व में तलब सुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान को हमराह लेकर कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया, जिस पर दोनों गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उक्त का परिचय पूछा गया तो उन्होनें अपना-अपना परिचय क्रमषः श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री हीराराम जी उम्र 59 साल जाति कुम्हार निवासी मुकाम पोस्ट रामपुरा पुलिस थाना कोतवाली सिरोही हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सिरोही मोबाईल नं. 7878530533 व श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री मंशाराम जी जाति रावल उम्र 59 साल निवासी कृष्णापुरी पुलिस थाना सदर कोतवाली जिला सिरोही हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा सिरोही मोबाईल नं. 9462287451 के रूप में दिया। जिन्हें गोपनीय कार्यवाही में स्वतंन्त्र गवाहान रहने हेतु अनुरोध करने पर दोनों गवाहान से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की गई। तत्पष्चात् कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री आशाराम का दोनों स्वतंन्त्र गवाहान से परिचय करवाया जाकर परिवादी श्री आशाराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दोनों गवाहान को सुपुर्द कर पढवाई गई। तत्पश्चात दोनों गवाहान ने

परिवादी श्री आशाराम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये गये। दिनांक 24.05.2024 को समय 03ः20 पी.एम. पर रूबरू स्वतन्त्र गवाहान परिवादी श्री आशाराम से आरोपी श्री दिक्षित परमार ग्राम विकास अधिकारी को रिष्वत में दी जाने वाली राषि 2200 मन् निरीक्षक पुलिस को रूबरू गवाहान पेष किये। जिस पर परिवादी श्री आशाराम तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू फर्द पेषकषी एवं सुपुदर्गी नोट एवं सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाऊडर की क्रिया-प्रतिक्रिया श्री हरिश मीणा क0स0 से प्रदर्षित करवाई जाकर इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। फर्द पेशकशी में अंकित रिश्वती राशि के नोटों के नम्बर निम्नानुसार है- क्र.सं. नोट का विवरण नोट के नम्बर 1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1HL 988237 2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9FR 400020 3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2VU 551221 4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2WU 924276 5 100 रूपये का एक नोट नम्बर 7QW 778104 6 100 रूपये का एक नोट नम्बर 9GT 365601 तत्पश्चात समय 03ः40 पी. एम. पर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस, श्री पदमपाल सिंह निरीक्षक पुलिस, श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री चेलाराम हैड कानि 109., श्री रमेश कुमार कानि. 119, श्री गणेश लाल चालक कानि. 561 व श्रीमती दीक्षा उदावत महिला कानि. 436 मय स्वतंत्र गवाहान श्री चुन्नीलाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री लक्ष्मणराम प्रशासनिक अधिकारी मय टेªप बाॅक्स के कार्यालय हाजा से जरिये दो निजी वाहनो से ग्राम जीरावला तहसील रेवदर को रवाना होकर वक्त 04ः40 पी.एम.पर कस्बा रेवदर पहुंच आरोपी की उपस्थिति सुनिष्चित करने के लिये परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल नम्बर 9322315947 पर वार्ता करवाई जाने पर आरोपी करीब आधे घण्टे बाद होटल पदमावती रेस्टोरेन्ट ग्राम जीरावला पर मिलने हेतु कहा गया। उक्त वार्ता को कार्यालय हाजा के डिजिटल वायस रिकाॅर्डर में रिकाॅर्ड किया गया, जिसकी आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाने का निर्णय लिया गया। तत्पष्चात् मन निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान के ग्राम जीरावला के लिये रवाना हुए। दिनांक 24.05.2024 को समय 05ः00 पी.एम.पर सुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान होटल पदमावती ग्राम जीरावला के पास पंहुच कर निजी वाहनों को सडक किनारे साईड में रोक कर संदिग्ध परमार दिक्षित कुमार की उपस्थिति होटल पदमावती ग्राम जीरावला में सुनिष्चित करने के इन्तजार में मुकिम रहे। समय 05ः35 पी.एम. पर गोपनीय सुत्रों से जानकारी मिली कि संदिग्ध परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी होटल पदमावती रेस्टोरेन्ट में पहुंच चुका है। जिस पर उपस्थित परिवादी श्री आषाराम से एक बार पुनः रिष्वती राषि लेन-देन के संबध में मुनासिब समझाईष कर आस-पास की लोकेषन का नजरी अवलोकन कर ट्रेप दल को आवष्यक ब्रीफिंग की गई। तत्पष्चात परिवादी श्री आषाराम को डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर आॅन कर सुपुर्द कर आरोपी परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी से रिष्वती राषि लेन-देन बाबत् सम्पर्क करने हेतु रवाना होटल पदमावती रेस्टोरेन्ट ग्राम जीरावला की तरफ किया गया। मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के होटल पदमावती ग्राम जीरावला के ईर्द-गिर्द परिवादी के गोपनीय ईषारे के इन्तजार में व्यस्त हुए। दिनांक 24.05.2024 को समय 06ः55 पी.एम. पर दौराने कार्यवाही वक्त 5.58 पी.एम पर परिवादी श्री आशाराम पुत्र श्री जोधाराम जी जाति रेबारी, निवासी दांतराई तहसील रेवदर जिला सिरोही मोबाईल नं. 9636810358 ने मन् निरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो सिरोही को पूर्व मे निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर कर किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ता के होटल पदमावती रेस्टोरेन्ट ग्राम जीरावला के पास पहुॅचा, जहां पर होटल के बाहर परिवादी श्री आषाराम उपस्थित मिला, जिस पर परिवादी को पूर्व में सुपर्द किया डिजिटल वाॅयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच आॅफ कर अपने पास सुरक्षित रखा, परिवादी श्री आषाराम ने रूबरू गवाहान के बताया कि मैं परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दांतराई द्वारा बताये गये उक्त होटल में आया जहां पर रेस्टोरेन्ट में परमार दिक्षित कुमार उपस्थित मिले, जिन्होने मेरे मूल निवास प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर आज दिनांक को की गई मांग के अनुसरण में मेरे से रिश्वती राशि 2200/- रूपये मांग कर अपने ईषारे से डाईनिंगं हाॅल मे जिस टेबल पर हम बैठे थे उस टेबल पर रखवाये हैं। इसी दौरान परिवादी ने रेस्टोरेन्ट के गेट पर चश्मा लगाये हुए खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी हैं। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देकर उस व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना परिचय परमार दिक्षित कुमार पुत्र श्री जगदीश कुमार उम्र 25 साल जाति छीपा, निवासी भारून्दा तहसील व पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दांतराई, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही के रूप में दिया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परमार दिक्षित कुमार से श्री आषाराम की तरफ ईशारा कर पूछा की इन्हें आप जानते हो, जिस पर परमार दिक्षितकुमार ने बताया कि यह श्री आषाराम हैं, जिनको मैं पहले से ही जानता हूं। तत्पश्चात परमार दिक्षितकुमार से पूछा गया कि अभी-अभी आपने श्री आषाराम से किसी प्रकार की राशि प्राप्त की हैं, जिस पर रुबरु गवाहान आरोपी परमार दिक्षितकुमार ने गिडगिडाते हुए कहा कि अभी मैने श्री आषाराम से कोई रिष्वत राषि नहीं ली है। जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री आषाराम ने आरोपी परमार दिक्षितकुमार के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि परमार दिक्षितकुमार ने आज सुबह मुझे काॅल करके इस होटल मंे बुलाया था एवं मेरा जायज कार्य करने की ऐवज मंे 2200 रू रिष्वत राषि की मांग की गई थी एवं अभी-अभी मेरे

मूल निवास प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद मेरे से पूर्व में की गई मांग के अनुषरण में मेरे से 2200 रू मांगकर जिस टेबल हम बैठे थे ईषारे से उस टेबल पर रखवाये थे। परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के सम्बध में आरोपी परमार दिक्षितकुमार से पुनः पूछा गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्य सही होना स्वीकार कर गिडगिडाने लगा कहा सर गलती हो गई माफ कर दो। तत्पश्चात आरोपी परमार दिक्षित कुमार को परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वति राशि के सम्बध में पूछने पर परमार दिक्षितकुमार ने बताया कि जिस टेबल पर बैठे थे उसी टेबल पर अपने हाथ से ईशारा कर रिष्वती राषि रखी होना बताया। जिस पर टेबल पर रखे हुये नोटो को गवाह श्री चुन्नीलाल से उठवाये जाकर पूर्व मंे तैयार फर्द पेषकषी श्री लक्ष्मणराम को सुपुर्द कर श्री चुन्नीलाल द्वारा नोटो के नम्बर बोल-बोल कर फर्द पेषकषी से मिलान करवाये गये तो नोटो के नम्बर हुबहु पाये गये। तत्पष्चात् मन निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता दोनो मौतबिरान, परिवादी एवं आरोपी के रुबरु अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए निजी वाहन से ब्यूरो जाब्ता से ट्रेप बाॅक्स मंगवाया जाकर रिष्वती राषि बरामदगी स्थल होटल पदमावती रेस्टोरेन्ट के डाईनिंग हाॅल में जहा पर आरोपी द्वारा परिवादी से रिष्वती राषि प्राप्त की, परिवादी एवं आरोपी परमार दिक्षित कुमार के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। टे्प बाॅक्स में से प्लास्टिक का पारदर्षी नया गिलास निकाल कर उक्त प्लास्टिक के पारदर्षी की गिलास में होटल परिसर मे रखे पानी के कैम्पर मे से बोतल भरवाई जाकर उक्त प्लास्टिक के पारदर्षी गिलास में पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणों ने गिलास के उक्त घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। एक सफेद कपडे की चिन्दी को रिष्वती राषि बरामदगी स्थल पर रगडकर उक्त तैयार घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झांईनुमा हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने हल्का गुलाबी झांईनुमा होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग काॅच की शीशीयों में आधा आधा भरवाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क टी-1 व टी-2 अंकित किया गया तथा चिन्दी को एक कपडे की थैली मे सील चिट कर मार्क-सी अंकित किया गया। परिवादी ने बताया कि परमार दिक्षित कुमार द्वारा रिष्वती राषि अपने हाथ मे नहीं ली हैं एवं आरोपी परमार दिक्षित कुमार ने भी रिष्वती राषि के हाथ नहीं लगाना बताया जाने के कारण आरोपी के हाथ धोवन की कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व में घटनास्थल से स्वतंत्र गवाह श्री चुन्नीलाल को सुपर्द किये गये 2200 रुपये के नोट के नम्बरों का मिलान हेतु पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकषी निकालकर स्वतंत्र गवाह श्री लक्ष्मणराम को सुपुर्द कर श्री चुन्नीलाल से उक्त नोटो के नम्बर बोल-बोल कर फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर फर्द पेशकशी मे अंकित नोटो के नम्बर हुबहु पाये गये। जिनके नम्बर निम्नानुसार हैंः- क्र.सं. नोट का विवरण नोट के नम्बर 1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1HL 988237 2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9FR 400020 3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2VU 551221 4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2WU 924276 5 100 रूपये का एक नोट नम्बर 7QW 778104 6 100 रूपये का एक नोट नम्बर 9GT 365601 तत्पश्चात् उक्त स्थान पर भीड-भाड एवं सार्वजनिक स्थान होने के कारण अग्रिम टे्प कार्यवाही पुलिस थाना रेवदर जिला सिरोही पर करने का निर्णय लिया जाकर बरामदा रिष्वती राषि, सीलषुदा प्रादर्ष, दस्तायाबषुदा आरोपी परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं समस्त ब्यूरो जाब्ता के होटल पदमावती रेस्टोरेन्ट से रवाना होकर पुलिस थान रेवदर पहुंचे। जहा पर थानाधिकारी पुलिस थाना रेवदर उपस्थित मिले जिन्हे अपना एवं हमराहियान का परिचय देकर अग्रिम टे्प कार्यवाही पुलिस थाना रेवदर में करने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करना प्रारम्भ की गई। तत्पष्चात परिवादी श्री आषाराम से आज दिनांक को आरोपी परमार दिक्षित कुमार द्वारा हस्ताक्षर किये गये दस्तावेजात पेष करने हेतु कहा जाने पर परिवादी श्री आषाराम ने मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसका जिसका अवलोकन किया गया तो कुल 06 पेज होना पाये गये जिस पर पेज सं. 01 से 06 तक अंकित किये। उक्त दस्तावेज परिवादी को मूल निवास प्रमाण पत्र बनावाये जाने हेतु आवष्यक होने से उक्त दस्तावेजात की फोटो प्रति करवा कर उस परिवादी, आरोपी एवं दोनों स्वतंन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवा कर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर कब्जा एसीबी लिया गया। दौराने बरामदगी कार्यवाही आरोपी परमार दिक्षित कुमार के पास एक मोबाईल पोको कम्पनी का ड्यूल आई.एम.ई.आई. नं. 868492061911343 व 868492061911350 जिसमें जियो सिम नं. 9322315947 लगी हुई हैं, इसका वाॅट्सऐप नं. 9322315947 है एवं परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दांतराई की रबर स्टाम्प पायी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी एंव धोवन कार्यवाही आरोपी परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी मुर्तिब कर इस पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनाक 24.05.2024 को समय 08ः50 पी..एम. पर दस्तयाबसुदा आरोपी एंव प्रकरण जब्तषुदा रिष्वती राषि व सील्डषुदा प्रादर्ष, टे्प बाॅक्स श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस की निगरानी में सुपुर्द कर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री आषाराम, दोनों गवाहान श्री चुन्नीलाल व श्री लक्ष्मणराम, ब्यूरो जाब्ता श्री रमेषकुमार कानि. 119 जरिये निजी वाहन एंव वाहन चालक श्री गणेषलाल के घटना/बरामदगी स्थल का निरीक्षण करने रवाना होटल पदमावती रेस्टोरेन्ट ग्राम जीरावला की तरफ हुआ। समय 10.06 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान घटनास्थल का दोनों स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री आषाराम की निषांदेही में घटना/बरामदगी स्थल होटल

पदमावती रेस्टोरेन्ट ग्राम जीरावला का निरीक्षण कर नक्षा मौका मुर्तिब कर हाजिर आया एवं श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस की निगरानी में सुपुर्द दस्तयाबसुदा आरोपी एंव प्रकरण जब्तषुदा रिष्वती राषि व सीलडषुदा प्रादर्ष, टे्प बाॅक्स इत्यादि मन् निरीक्षक पुलिस लिया गया। समय 10ः20 पी.एम. पर अब तक की कार्यवाही से आरोपी परमार दिक्षित कुमार पुत्र श्री जगदीष कुमार उम्र 25 साल, जाति छीपा, निवासी 429 छीपों का बास, पोस्ट आॅफिस के पास भारून्दा, तहसील व पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दांतराई, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने से इन्हें इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 41 सी0आर0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर आरोपी की फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब की जाकर इन पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहेनुसार थाना हाजा पर उपस्थित श्री कुलदीपसिंह पुत्र श्री ईष्वरसिंह उम्र 28 साल, जाति राजपूत, निवासी भारून्दा, तहसील व पुलिस थाना सुमेरपुर जिला सिरोही हाल मैनेजर हरिओम पेट्रोलियम (नायरा) ग्राम जीरावला, तहसील रेवदर जिला सिरोही मोबाईल नम्बर 9649310971 को रूबरू दी गई। दिनंाक 25.05.2024 को समय 00.46 ए.एम. तक प्रकरण हाजा में मौके की समस्त कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी हैं, अब यहां की कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से गिरफ्तार सुदा अभियुक्त श्री परमार दिक्षित कुमार पुत्र श्री जगदीष कुमार उम्र 25 साल, जाति छीपा, निवासी 429 छीपों का बास, पोस्ट आॅफिस के पास भारून्दा, तहसील व पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दांतराई, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही को हमराह लेकर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता, गवाहान, परिवादी आदि सर्व श्री पदमपालसिंह निरीक्षक पुलिस, श्री मोहनराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री चैलाराम हैड कानि0, श्री रमेष कुमार कानि. 119, श्रीमती दीक्षा उदावत महिला कानि. 436, परिवादी श्री आषाराम, स्वतंत्र गवाहान श्री चुन्नीलाल, श्री लक्ष्मणराम मय डिजीटल वाॅयस रिकाॅर्डर, ट्रेप बाॅक्स, लेपटाॅप, मालखाना आईटम्स सीलडयुक्त बरामदा रिष्वती राषि 2200 रू व धोवन की शीषियां मार्क टी-1, टी-2, धोवन में प्रयुक्त सफेद कपड़े की चिन्दी का पैकेटस मार्क-सी आदि के जरिये दो निजी वाहनों एवं चालक श्री गणेषलाल नं. 561 के रवाना पुलिस थाना रेवदर से एसीबी कार्यालय सिरोही को रवाना होकर समय 02ः00 ए.एम. पर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान गिरफ्तार सुदा अभियुक्त के चैकी हाजा पर उपस्थित आया। प्रकरण हाजा के मालखाना आईटम्स सीलडयुक्त बरामदा रिष्वती राषि 2200/- रू0 व धोवन की सील्डषुदा शीषियां मार्क टी-1, टी-2, धोवन में प्रयुक्त सफेद कपड़े की चिन्दी का सील्डषुदा पैकेट मार्क-सी आदि हाजिर मालखाना प्रभारी श्री चेलाराम हैड कानि. नं0. 109 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। समय 02ः15 ए.एम. पर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता श्री रमेष कुमार कानि0 जरिये निजी वाहन चालक श्री गणेषलाल के गिरफ्तार सुदा आरोपी परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एवं रात्रि रहदारी हेतु पुलिस थाना कोतवाली जिला सिरोही में सुपुर्द करने हेतु रवाना हुआ। समय 03ः15 ए.एम. पर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता श्री रमेष कुमार कानि0 जरिये निजी वाहन चालक श्री गणेषलाल के गिरफ्तार सुदा आरोपी परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु राजकीय चिकित्सालय सिरोही पहुंच आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी को पुलिस थाना कोतवाली जिला सिरोही में सुपुर्द कर हाजिर कार्यालय आया। समय 05.00 ए.एम. तक प्रकरण में रिष्वती राषि मांग-सत्यापन व लेन-देन वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्टस तैयार करनी शेष हैं। अतः परिवादी श्री आषाराम तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री चुन्नीलाल व श्री लक्ष्मणराम की मौजूदगी में फर्द ट्रांसक्रिप्टस रिष्वती राषि मांग-सत्यापन वार्तालाप तैयार करनी शुरू की गई। समय 09.20 ए.एम. तक परिवादी श्री आषाराम एवं आरोपी श्री परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दि0 24.05.2024 को रूबरू हुई रिष्वती राषि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वाॅईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकाॅर्ड हंै। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री आषाराम के सुन-सुन कर शब्द-बषब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिष्वती राषि मंाग सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटाॅप के माध्यम से तीन पैन ड्राईव्स तैयार कर एक पैन ड्राईव को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पैन ड्राईव की सील्डयुक्त थेली पर मार्क ‘‘क्‘‘ अंकित किया गया, एवं दो पैन ड्राईव को क्लोन मानते हुये खुली हालात में रखे गये। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री आषाराम द्वारा की गई। सील्डषुदा पैन ड्राईव व दो क्लोन पैन ड्राईव खुली हालात में मालखाना प्रभारी श्री चैलाराम है0का0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पष्चात फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिष्वती राषि लेन-देन वार्तालाप परिवादी एंव दोनों गवाहान की उपस्थिति में तैयार करनी प्रारंभ की गई। तत्पष्चात समय 09.30 ए.एम. तक परिवादी श्री आषाराम एवं आरोपी श्री परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक 24.05.2024 को रूबरू हुई रिष्वती राषि लेन-देन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वाॅईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकाॅर्ड हंै। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री आषाराम के सुन-सुन कर शब्द-बषब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिष्वती राषि लेन-देन वार्तालाप मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई।

वार्तालाप की कार्यालय के लेपटाॅप के माध्यम से तीन पैन ड्राईव्स तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली व फर्द पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील्डयुक्त थेली पर मार्क ''स्'' अंकित किया गया, एवं दो पैन ड्राईव को क्लोन मानते हुए खुले रखे गये। सील्डषुदा पैन ड्राईव व दो खुली हालात में पैन ड्राईव मालखाना प्रभारी श्री चैलाराम है0का0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। आरोपी श्री परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री आषाराम द्वारा की गई। तत्पष्चात फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिष्वती राषि लेन-देन वार्तालाप से पूर्व परिवादी व आरोपी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट परिवादी एंव दोनों गवाहान की उपस्थिति में तैयार करनी प्रारंभ की गई। इसके बाद समय 12.30 पी.एम. तक परिवादी श्री आषाराम एवं आरोपी श्री परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी के मध्य दिनांक 24.05.2024 को रिष्वती राषि लेन-देन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वाॅईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकाॅर्ड करवाई गई थी। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री आषाराम के सुन-सुन कर शब्द-बषब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिष्वती राषि लेन-देन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्तालाप मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटाॅप के माध्यम से तीन पैन ड्राईव्स तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली व फर्द पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील्डयुक्त थेली पर मार्क ''स्.1'' अंकित किया गया, एवं दो पैन ड्राईव को क्लोन मानते हुए खुले रखे गये। सील्डषुदा पैन ड्राईव व दो खुली हालात में पैन ड्राईव मालखाना प्रभारी श्री चैलाराम है0का0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। आरोपी श्री परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री आषाराम द्वारा की गई। समय 01.30 पी.एम. तक परिवादी श्री आषाराम एवं आरोपी श्री परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी के मध्य रिष्वती राषि मांग सत्यापन एवं लेन-देन तथा आरोपी व परिवादी के मध्य मोबाईल पर दिनांक 24.05.2024 को हुई वार्ता के मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर से सुरक्षित हालात में निकाल कर एक सफेद कपड़े की थैली में डाल कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील्डषुदा पैकेट का मार्क- ''ड'' अंकित कर सील्डषुदा पैकेट मालखाना प्रभारी श्री चैलाराम है0का0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। इस कार्यवाही की फर्द जब्ती मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री आषाराम एवं स्वतंन्त्र गवाहान श्री चुन्नीलाल एवं श्री लक्ष्मणराम की कार्यवाही में आवष्यकता नहीं होने से रूख्सत दी गई। तत्पष्चात समय 01.45 पी.एम. पर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता श्री सुरेष दान कानि0 के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री गणेषलाल के आरोपी श्री परमार दिक्षित कुमार को सुरक्षा की दृष्टि सुपुर्द किया हुआ पुलिस थाना सदर जिला पाली से लाने हेतु रवाना हुआ। समय 2.35 पी.एम. पर मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता श्री सुरेष दान कानि0 के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री गणेषलाल के आरोपी श्री परमार दिक्षित कुमार को सुरक्षा की दृष्टि सुपुर्द किया हुआ पुलिस थाना सदर जिला पाली से प्राप्त कर बाद स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर कार्यालय हाजिर आये। आईन्दा आरोपी श्री परमार दिक्षित कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दांतराई पं0सं0 रेवदर जिला सिरोही को माननीय विषिष्ठ न्यायाधीष, सैंषन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पाली के समक्ष पेष कर माननीय न्यायालय के आदेष की पालना की जावेगी। उपरोक्त हालात से आरोपी श्री परमार दिक्षित कुमार पुत्र श्री जगदीष कुमार उम्र 25 साल, जाति छीपा, निवासी 429 छीपों का बास, पोस्ट आॅफिस के पास भारून्दा, तहसील व पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दांतराई, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी श्री आषाराम से उसका राषन कार्ड, जन आधार, जाॅब कार्ड व मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की एवज में परिवादी से दिनांक 24.05.2024 को वक्त सत्यापन 22,00 रू. रिष्वती राषि की मांग करना एवं दौराने टे्प कार्यवाही दिनांक 24.05.2024 को मांग के अनुषरण में 2200/- रू0 रिष्वती राषि ईशारे से मांग कर होटल पदमावती रेस्टोरेन्ट के डाईनिंग हाॅल की टेबल पर प्राप्त करने के ईरादे से रखवाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाने से आरोपी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री परमार दिक्षित कुमार पुत्र श्री जगदीष कुमार उम्र 25 साल, जाति छीपा, निवासी 429 छीपों का बास, पोस्ट आॅफिस के पास भारून्दा, तहसील व पुलिस थाना सुमेरपुर जिला पाली हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दांतराई, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेष फरमावें। भवदीय (कुयाराम) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही,.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कुयाराम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों सिरोही ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री परमार दिक्षित कुमार पुत्र श्री जगदीश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दांतराई, पंचायत समिति रेवदर, जिला सिरोही के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री चैन प्रकाश, पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक

ब्यूरों पाली द्वितीय को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट409पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 504-07 दिनांक 25.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली। 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** CHEN PRAKASH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 25/05/2024 20:17:43

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/03/1997				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)